



उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड

होमियोपैथी भवन

2, नबीउल्लाह मार्ग, लखनऊ-226018

दूरभाष : 0522-2618850

फैक्स : 0522-2616638

पत्रांक ५२६ / एच०एम०बी० / ५१७/२०१०

दिनांक २०-०१-११

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,

समस्त डी०एच०पी० कालेज,

उत्तर प्रदेश।

विषय: डी०एच०पी० कालेजों में पूर्व से नियुक्त शिक्षकों को हटाकर उनके स्थान पर नये शिक्षक नियुक्त किये जाने की स्थिति में नये शिक्षक की नियुक्ति करने के पूर्व बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहना है कि बोर्ड के संज्ञान में यह आया है कि डी०एच०पी० कालेजों के प्रबन्धक/प्राचार्य द्वारा बिना बोर्ड कार्यालय के संज्ञान में लाये हुए पूर्व से नियुक्त शिक्षकों को हटाकर उनके स्थान पर नये शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाती है, जिनकी शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि का बोर्ड को कोई संज्ञान नहीं होता है।

2- अतएव होमियोपैथिक भेषजिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से उ०प्र० होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि डी०एच०पी० कालेजों में पूर्व से नियुक्त शिक्षकों को हटाकर उनके स्थान पर नये शिक्षकों के नियुक्त किये जाने के पूर्व उन नवनियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों के समस्त विवरण जैसे-शैक्षिक अर्हता, अनुभव, आधार नम्बर, पैन नम्बर तथा पता आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना सम्बन्धित प्रबन्धक/प्राचार्य द्वारा बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए शिक्षकों की नियुक्ति पर बोर्ड का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

भवदीय,

(अनिल कुमार मिश्र)
रजिस्ट्रार।